न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 271 / 2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. तैयब पुत्र गाधी के कायम मुकाम 1.1 धोसेखां पुत्र तैयब 1.2 इनायतखां पुत्र तैयब 1.3 करीमखां पुत्र तैयब 1.4 दलीबानू पुत्री तैयब 1.5 निहालीबानू पुत्री तैयब 1.6 सुकीबानो पुत्री तैयब 1.7 सहिदी पुत्री तैयब 1.8 जेनु पत्नी तैयब जातियान मुसलमान नि. भाटाला, तहसील सिणधरी		1. गुलामखां पुत्र मुसाखां 2. रमजानखा पुत्र मुसाखां 3. सोकतखा पुत्र मुसाखां 4. बरकतखां पुत्र मुसाखां 5. नवाबखां पुत्र मुसाखां 6. रजाकखां पुत्र मुसाखां 7. धुली पत्नी मुसाखां जातियान मुसलमान निवासी भाटाला तहसील सिणधरी 8. अतियोंदेवी पत्नी गोकलाराम 9. आम्बाराम पुत्र भारमलराम 10. खीमाराम पुत्र भारमलराम 11. प्रागाराम पुत्र भारमलराम 12. मोडाराम पुत्र भारमलराम 13. किस्तुराराम पुत्र गोकलाराम 14. चेलाराम पुत्र गोकलाराम 15. दीपाराम पुत्र गोकलाराम 16. शंकराराम पुत्र गोकलाराम 17. प्रागाराम पुत्र सुजाणाराम 18. लाखाराम पुत्र सुजाणाराम 19. बेसराराम पुत्र हबताराम 20. [illegible] पुत्र [illegible] जातियान कलबी नि[illegible] ल[illegible], तहसील सिणधरी 21. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति :-

1. श्री जोधराज पोटलिया प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी स. 1 से 20 एकतरफा। विप्रार्थी संख्या 21 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तक का संयुक्त खातेदारी खेत मौजा लोलावा, पटवार हल्का गोलिया जीवराज में खसरा संख्या 43, 44 रकबा 0.0324, 3.7376 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7700 हैक्टेयर आया हुआ है। कि प्रार्थीगण के पिता तैयब व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिता मुसाखा जिनके द्वारा सर्वप्रथम उक्त खसरे में दिनांक 27.04.1984 को राजा मोकला पि. गुमना का सम्पूर्ण हिस्सा 10-08 बीघा को खरीद किया गया जो ग्राम लोलावा में नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 01.10.1984 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता तैयबखा के पास अपने हिस्से में 05-04 बीघा व मुसाखा के हिस्से में 05-04 बीघा भूमि आती थी जो मौके पर उक्त खसरो में कब्जा कास्त करते आ रहे थे। जिसके बाद विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिताजी मुसाखा के फौत होने पर उनके पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। और वर्तमान में खातेदार तैयब भी फौत हो गए। जिसका नामान्तरकरण करना बाकी है। यह है कि राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते वक्त उक्त खसरा संख्या 43 व 44 में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से का गलत रूप से अंकन किया गया और प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से को एक ही इकाई मानकार उनका निर्धारण किया गया जिसमे गलत रूप से तैयब का 11/233 हिस्सा और विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 का प्रत्येक का 11/233 हिस्सा गलत रूप से निर्धारित किया गया। अतः विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड की तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिवाना से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तक का संयुक्त खातेदारी खेत मौजा लोलावा, पटवार हल्का गोलिया जीवराज में खसरा संख्या 43, 44 रकबा 0.0324, 3.7376 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7700 हैक्टेयर आया हुआ है। कि [illegible] पिता तैयब व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिता मुसाखां जिनके द्वारा [illegible] उक्त खसरे [illegible] 27.04.1984 को राजा मोकला पि. गुमना का सम्पूर्ण हिस्सा 10-08 बीघा [illegible] लोलावा में नामान्तरकरण संख्या 220 दिनांक 01.10.1984 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता तैयबखा के पास अपने हिस्से में 05-04 बीघा व मुसाखा के हिस्से में 05-04 बीघा भूमि आती थी जो मौके पर उक्त खसरों में कब्जा कास्त करते आ रहे थे। जिसके बाद विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिताजी

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:17 IST
Reason: SelfAttested

। के फौत होने परउनके पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। और वर्तमान में ...दार तैयब भी फौत हो गए। जिसका नामान्तरकरण करना बाकी है। यह है कि राजस्व रेकर्ड को ...नलाईन करते वक्त उक्त खसरा संख्या 43 व 44 में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से का गलत रूप से अंकन किया गया और प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से को एक ही इकाई मानकार उनका निर्धारण किया गया जिसमें गलत रूप से तैयब का 11/233 हिस्सा और विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 का प्रत्येक का 11/233 हिस्सा गलत रूप से निर्धारित किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 में हिस्सा दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि हिस्साकस्सी दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 तक का संयुक्त खातेदारी खेत मौजा लोलावा, पटवार हल्का गोलिया जीवराज में खसरा संख्या 43, 44 रकबा 0.0324, 3.7376 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7700 हैक्टेयर आया हुआ है। कि प्रार्थीगण के पिता तैयब व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिता मुसाखां जिनके द्वारा सर्वप्रथम उक्त खसरे में दिनांक 27.04.1984 को राजा गोकला पि. गुमना का सम्पूर्ण हिस्सा 10–08 बीघा को खरीद किया गया जो ग्राम लोलावा में नामानतरकरण संख्या 220 दिनांक 01.10.1984 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता तैयबखा के पास अपने हिस्से में 05–04 बीघा व मुसाखा के हिस्से में 05–04 बीघा भूमि आती थी जो मौके पर उक्त खसरों में कब्जा कास्त करते आ रहे थे। जिसके बाद विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के पिताजी मुसाखा के फौत होने परउनके पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। और वर्तमान में खातेदार तैयब भी फौत हो गए। जिसका नामान्तरकरण करना बाकी है। यह है कि राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते वक्त उक्त खसरा संख्या 43 व 44 में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से का गलत रूप से अंकन किया गया और प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 के हिस्से को एक ही इकाई मानकार उनका निर्धारण किया गया जिसमें गलत रूप से तैयब का 11/233 हिस्सा और विप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 का प्रत्येक का 11/233 हिस्सा गलत रूप से निर्धारित किया गया। [illegible] स्पष्ट है कि प्रार्थीगण हिस्सा कस्सी का जो जो कि गलत है एवं तहसीलदार सिणधरी [illegible] की पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच अंकन हो रखा है,जो कि [illegible] रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 [illegible] प्रार्थीगण के वास्तविक हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है। ताकि वास्तविक राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:17 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि के खातेदारान का राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक हिस्साकस्सी अनुसार नही हो रखी जो प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत राजस्व ग्राम लोलावा, पटवार हल्का गोलिया जीवराज में खसरा संख्या 43, 44 रकबा 0.0324, 3.7376 हैक्टेयर कुल रकबा 3.7700 हैक्टेयर की विदयमान हिस्साकसी निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 के संलग्न प्रस्तावित मौका फर्द अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जाते है.उक्त मौका फर्द आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:17 IST
Reason: SelfAttested